फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयसिंह विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 175/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा मुकदमें जारी की गई

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पूर्व में पेश की गई जो आज रेकर्ड पर ली गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार साविक आराजी नंबर 3404–3407/2 जिसके नये आराजी नंबर 3191 में प्रार्थी का नाम उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत अंकित है जो गलत होने से उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह के बजाय उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह जाति राजपूत अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि राजस्व ग्राम खरोदा के साविक आराजी नंबर 3404–3407/2 रकबा 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा विक्रेता श्री भैरूसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत द्वारा क्रय कर प्रार्थी श्री उदयसिह पिता मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह जाति राजपूत के नाम से निष्पादन की गई। नामांतरण संख्या 3756 के जरिये विक्रेता भैरूसिंह के बजाय प्रार्थी के नाम पर उदयसिंह पिता मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज हुई थी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड ग्राम खरोदा के खाता संख्या 72 आराजी नंबर 3191 रकबा 0.9700 हे. में प्रार्थी का नाम अशुद्ध होकर उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह के बजाय उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह ही दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का नाम उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह दर्ज किया जाना अपेक्षित बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति पेश की गई। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेज व तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट पर मनन किया। हमने पाया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात रजिस्टर्ड दान द्वारा प्रार्थी को प्राप्त हुई है जो नामांतरण संख्या 3756 के जरिये दानकर्ता भेरूसिंह पिता मोहनसिंह के बजाय प्रार्थी उदयसिंह पिता मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह राजपूत सा. खरोदा के नाम अंकित हुई है। नामांतरण संख्या 3756 में प्रार्थी का नाम उदयसिंह पिता मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह राजपूत अंकित है जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उदयसिह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत ही अंकित है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित हो गया है जिसे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.31 12:29:57 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा [illegible] खरोदा तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 72 की आराजी नम्बर 3191 किता 1 रकबा 0.9700 हेक्टेयर भूमि में खातेदार प्रार्थी का नाम उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार के बजाय उदयसिंह पुत्र मोहनसिंह मुतवन्ना नाहरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार संशोधन किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।